1971) के अधीन स्वयं के निरूद्ध किये जाने के कारण या डिफेन्स एण्ड इन्टर्नल सिक्युरिटी ऑफ इण्डिया एक्ट, 1971 (क्रमांक 42 सन् 1971) या भारत रक्षा और आन्तरिक सुरक्षा नियम, 1971 के अधीन या दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 107 या धारा 117 या धारा 151 के अधीन स्वयं के गिरफ्तार या कारावासित किये जाने के कारण बंद कर देना पडा था और इस उप पैरा में विनिर्दिष्ट की गई कालावधियों का ऐसे विद्यार्थी के संबंध में अवसान विद्या वर्ष 1977–78 का प्रारंभ होने के पूर्व ऐसे निरोध, ऐसे गिरफ्तारी या ऐसे कारावास के दौरान हो गया था, वहां इस पैरा के उपबंध ऐसे विद्यार्थी के संबंध में इस प्रकार प्रभावी होंगे मानों कि शब्द ''सात वर्ष'' तथा ''छः वर्ष '' के स्थान पर शब्द ''नौ वर्ष'' तथा ''आठ वर्ष'' क्रमशः स्थापित किये गये हों]।

(पांच) पद (उन्नीस), (इक्कीस); (बाईस) तथा (तेईस) के अधीन निर्वाचन की रीति ऐसी होगी जैसी कि परिनियमों द्वारा विहित की जाय।

(2) उपधारा (1) के समूह–घ के अधीन निर्वाचित किये गये सदस्यों की पदावधि एक वर्ष होगी।

(3) उपधारा (1) के समूह–ख तथा समूह–ग के अधीन यथास्थिति नामनिर्देशित या निर्वाचित सदस्यों या उपधारा (1) के समूह–ख तथा समूह–ड. में सम्मिलित किये गये सदस्यों की पदावधि का पर्यवसान सभा की अवधि, जो तीन वर्ष की होगी के पर्यवसान के साथ होगा।

(4) उपधारा (1) के पद (बीस) में विनिर्दिष्ट किया गया प्रत्येक दाता सभा का आजीवन सदस्य रहेगाः

परन्तु जहॉ ऐसा दाता अविभक्त हिन्दू कुटुम्ब न्यास, फर्म, कंपनी या निगमित निकाय हो, वहां वह सभा की सदस्यता के प्रयोजनों के लिये, उस तारीख से, जिसको कि विश्वविद्यालय द्वारा दान प्रतिग्रहीत किया जाय, पन्द्रह वर्ष की कालावधि का अवसान होने पर दाता नहीं रहेगा और पूर्वोक्त कालावधि के दौरान, वह प्रतिनिधि, जो ऐसे दाता द्वारा समय–समय पर नाम–निर्देशित किया जाय दाता समझा जायेगा।

21. सभा के सम्मिलन तथा उनमें गणपूर्ति

(1) सभा का सम्मिलन एक कैलेण्डर वर्ष में कम से कम एक बार तथा ऐसे अन्तरालों पर, जो कि परिनियमों द्वारा विहित किये जायें होगा।[41]

''[(2) सभा के पच्चीस सदस्यों से गणपूर्ति होगी। परन्तु स्थगित सम्मिलिन के लिये कोई गणपूर्ति आवश्यक नहीं होगी।] ''

(2) सभा के तीस सदस्यों से गणपूर्ति होगी।

22. सभा की शक्तियॉ तथा उसके कर्तव्य

इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए सभा निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग करेगी और निम्नलिखित कर्तव्यों का पालन करेंगी, अर्थात्:–

(एक) विश्वविद्यालय से संबंधित समस्त विषयों के संबंध में सलाहकार निकाय के रूप में कार्य करना;

(दो) विश्वविद्यालय की स्थूल नीतियों तथा कार्यक्रमों का समय–समय पर पुनर्विलोकन करना और विश्वविद्यालय की उन्नति तथा विकास के लिये उपाय सुझाना;

(तीन) वार्षिक रिपोर्टों, वार्षिक लेखाओं तथा तत्ससंबंधी संपरीक्षा रिपोर्ट, यदि कोई हो, विचार करना और उन पर संकल्प पारित करना;

(चार) विश्वविद्यालय के वार्षिक वित्तीय प्राक्कलनों पर विचार करना और उन पर संकल्प पारित करना;

[42][(पांच) [..... लुप्त .....]

(छः) सम्मानिक उपाधियॉ तथा विद्या संबंधी अन्य विशिष्टताएँ कार्यपरिषद् की सिफारिश पर प्रदान करना;

(सात) विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारियों के कार्यो का, उस दशा में के सिवाय जहॉ कि ऐसे प्राधिकारियों ने उन शक्तियों अनुसार कार्य किया हो जो कि इस अधिनियम, परिनियमों तथा अध्यादेशों द्वारा उन्हें प्रदत्त की गई हों, पुनर्विलोकन करना;

(आठ) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना तथा ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना जो कि इस अधिनियम तथा परिनियमों द्वारा उसे प्रदत्त की जांच या उस पर अधिरोपित किये जायें।

23. कार्यपरिषद्

(1) कार्यपरिषद् विश्वविद्यालय की कार्यपालिक निकाय होगी और उसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् :–

(एक) कुलपति;

[43]''[(एक–क) कुलाधि सचिव''

(दो) संकायों के चार संकायाध्यक्ष जो कुलाधिपति द्वारा नाम निर्देशित किये जायेंगे,

(तीन) सभा द्वारा अपने सदस्यों में से, एक संक्रमणीय मत द्वारा, निर्वाचित किये गये तीन व्यक्ति;

(चार) विश्वविद्यालयीन अध्यापन विभागों या प्राध्ययन केन्द्रों के दो आचार्य जो कुलाधिपति द्वारा ज्येष्ठता के अनुसार बारी–बारी से नामनिर्देशित किये जायेंगे;

(पांच) संबंद्ध महाविद्यालयों के चार प्राचार्य जिनमें से कम से कम दो प्राचार्य उन महाविद्यालयों में से होंगे जो राज्य सरकार के हों, ये चार प्राचार्य कुलाधिपति द्वारा ज्येष्ठता के अनुसार बारी–बारी से नामनिर्देशित किये जायेगें;

(छः) सचिव, मध्यप्रदेश शासन [44][उच्च–शिक्षा विभाग] या उसका नाम निर्दिष्ट व्यक्ति जो उपसचिव के पद से निम्न पद का न हो;

(सात) सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग या उसका नाम निर्दिष्ट व्यक्ति जो उप सचिव के पद से निम्न पद का न हो;

**(आठ) कुलाधिपति द्वारा [नामनिर्देशित छह व्यक्ति जिनमें से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग में से प्रत्येक का एक–एक व्यक्ति होगा, इन छह व्यक्तियों में से दो महिलाएं होंगी.]

(2) कार्यपरिषद् के वे सदस्य, जो पदेन सदस्यों से भिन्न हों तीन वर्ष की कालावधि के लिये पद धारण करेंगें: